छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –53 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2022-01674**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''जे.जे. एण्ड कल्पना रेसीडेन्सी'' प्रमोटर–माँ महामाया बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री सुनील सिन्हा, पता–डी.सी. रोड, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा

प्रोजेक्ट–''जे.जे. एण्ड कल्पना रेसीडेन्सी'' अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
01/04/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक/प्रमोटर द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट ''जे.जे. एण्ड कल्पना रेसीडेन्सी'' छ.ग. रेरा पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA180718000598** के रूप में दिनाँक 18.07.2018 को पंजीयन कराया गया है। परन्तु अनावेदक द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में सहपठित प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17/रेरा/2018/562, दिनाँक 28.09.2018 एवं क्रमांक–22/रेरा/2018/676, दिनाँक 03.11.2018 के अनुसार त्रैमासिक अद्यतन करने व अन्य आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किये जाने के कारण अनावेदक के विरूद्ध अधिनियम की धारा–61 व 63 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। – प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों व प्रमोटर द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 28.09.2022 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त संशोधित दस्तावेजों को प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	